न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 20/2015 – निगरानी

श्रीमती चान्दी देवी पत्नी सुखा भील निवासी ब्राह्मणों की सरेरी तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र रेमता भील निवासी ब्राह्मणों की सरेरी तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
निगरानी विरूद्व निर्णय ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी पत्रावली सं. 09
दिनांक 20.07.1999

1. श्री राकेश जैन अधिवक्ता – निगराकार की ओर से उपस्थित
2. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से उपस्थित
3. श्री रणवीर सिंह एवं रमेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 02 की ओर से उपस्थित

निर्णय

दिनांक 27.04.2017

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरूद्व दिनांक 20.07.1999 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी ने पत्रावली क्रमांक 9 से विपक्षी सं. 01 भंवर भील को सनद पटटा जारी करने में भारी विधिक त्रुटि की है, जिससे पत्रावली क्रमांक 9 में विपक्षी सं. 01 के नाम से जारी किया गया पटटा अवैध होने से निरस्तनीय हैं । ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा के अन्दर हल्के आबादी निगराकार के स्वामित्व व कब्जेशुदा का एक भुखण्ड अविस्थत हैं, जिसकी नपती 30 बाई 20 फीट है व जिसके पडौस पूर्व में आम रास्ता पश्चिम सुखा पुत्र मांगू भील , उत्तर आम रास्ता , दक्षिण सुधा पुत्र मांगू भील स्थित हैं। निगराकार चयनित परिवार की सदस्य हैं, जिससे उक्त भूखण्ड पर इंदिरा आवास योजना के तहत भवन निर्माण हेतु वित्तिय स्वीकृति प्राप्त हुई एवं उक्त भूखण्ड पर इंदिरा आवास योजना के तहत भवन का निर्माण हुआ, जिसमें निगराकार अपने परिवार सहित निवासी करती चली आ रही हैं । विपक्षी सं. 01 का उक्त वादग्रस्त भूखण्ड से कोई लेना – देना नहीं हैं । विपक्षी सं. 01 ने विपक्षी सं. 02 से मिलीभगत कर षड़यंत्रपूर्वक पुराने गृह का विनियमितीकरण पटटा जारी करवाया गया, जो विधि विरूद्व हैं। विपक्षी सं. 01 का उक्त वादग्रस्त जायदाद में कोई हक – अधिकार नहीं हैं। विपक्षी सं. 02 ने पटटा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में वर्णित

प्रावधानों एवं औपचारिकताओं का पूर्णतया पालन नहीं किया हैं । विपक्षी सं. 02 ने आपत्तियां आमंत्रित नहीं की और न ही आपत्ति पत्र को सार्वजनिक या सहज दृश्य स्थान पर चस्पा किया , जिससे निगराकार को उक्त कार्यवाही की जानकारी नहीं हो सकी अन्यथा निगराकार द्वारा उसी समय आपत्ति प्रस्तुत कर दी जाती । विपक्षी सं. 02 ने नियम 149 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की पालना नहीं की, जिससे विपक्षी सं. 02 द्वारा जारी उक्त पटटा अवैधानिक होने से निरस्तनीय हैं । राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157(क) के अनुसार पुराने गृह का पटटा जारी किया जाता हैं, किन्तु स्वयं विपक्षी सं. 01 के आवेदन को देखने मात्र से स्पष्ट होता हैं कि वहां कोई पुराना गृह या संनिर्मित भाग नहीं था । इस प्रकार विपक्षी सं. 02 ने सम्पूर्ण कार्यवाही नहीं कर विपक्षी सं. 01 को नाजायज लाभ प्रदत्त करने के दुराशय से उक्त वादग्रस्त पटटा जारी किया हैं, जो अवैधानिक होने से निरस्तनीय हैं। विपक्षी सं. 02 ने उक्त जायदाद के संबंध में स्वामित्व संबंधी दस्तावेज को देखे बिना ही विपक्षी सं. 01 के पक्ष में पटटा जारी कर दिया, जो आधारहीन होने से निरस्तनीय हैं। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी सं. 02 द्वारा विपक्षी सं. 01 को पत्रावली सं. 09 दिनांक 20.07.1999 द्वारा जारी पटटा अपास्त फरमाया जावे ।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 03.07.2015 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये एवं रिकार्ड तलब किया गया जो दिनांक 08.02.2017 को शामिल पत्रावली किया गया । विपक्षी सं. 01 एवं 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया ।

प्रस्तुत निगरानी में निगराकार व गैर निगराकार के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित बिन्दु सं. 1 से लगायत 9 के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी ने पत्रावली कमांक 9 से विपक्षी सं. 01 भंवर भील को सनद पटटा जारी करने में भारी विधिक त्रुटि की है, जिससे पत्रावली कमांक 9 में विपक्षी सं. 01 के नाम से जारी किया गया पटटा अवैध होने से निरस्तनीय हैं । निगराकार चयनित परिवार की सदस्य हैं, जिससे उक्त भूखण्ड पर इंदिरा आवास योजना के तहत भवन निर्माण हेतु वित्तिय स्वीकृति प्राप्त हुई एवं उक्त भूखण्ड पर इंदिरा आवास योजना के तहत भवन का निर्माण हुआ, जिसमें निगराकार अपने परिवार सहित निवासी करती चली आ रही हैं । विपक्षी सं. 01 का उक्त वादग्रस्त भूखण्ड से कोई लेना – देना नहीं हैं । विपक्षी सं. 02 ने नियम 149 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की पालना नहीं की, जिससे विपक्षी सं. 02 द्वारा जारी उक्त पटटा अवैधानिक होने से निरस्तनीय हैं । राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157(क) के अनुसार पुराने गृह का पटटा जारी किया जाता हैं, किन्तु स्वयं विपक्षी सं. 01 के आवेदन को देखने मात्र से स्पष्ट होता हैं कि वहां कोई पुराना गृह या संनिर्मित भाग नहीं था । इस प्रकार विपक्षी सं. 02 ने सम्पूर्ण कार्यवाही नहीं कर विपक्षी सं. 01 को नाजायज लाभ प्रदत्त करने के दुराशय से उक्त वादग्रस्त पटटा जारी किया हैं, जो अवैधानिक होने से निरस्तनीय हैं। विपक्षी सं. 02 ने उक्त जायदाद के संबंध में स्वामित्व संबंधी दस्तावेज को देखे बिना ही विपक्षी सं. 01 के पक्ष में पटटा जारी कर दिया, जो आधारहीन होने से निरस्तनीय हैं। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की

जाकर विपक्षी सं. 02 द्वारा विपक्षी सं. 01 को पत्रावली सं. 09 दिनांक 20.07.1999 द्वारा जारी पटटा अपास्त फरमाया जावे ।

गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी सं. 01 को पटटा पूरी तरह नियमानुसार सम्पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाते हुए पंचायती राज नियमों के तहत जारी किया गया है जो किसी प्रकार अवैध नहीं है तथा न ही निरस्त होने योग्य है। वाद वर्णित पडौसों के मध्य निगराकार का कोई भूखण्ड स्थित नहीं हैं। उक्त वर्णित पडौसों के मध्य जवाबदाता विपक्षी का भूखण्ड स्थित हैं जो विपक्षी के स्वामित्व कब्जे व अधिकार एवं उपयोग उपभोग का हैं। विपक्षी सं. 01 का पैतृक एवं कब्जेशुदा भूखण्ड होने के कारण ही सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर पटटा जारी किया गया है । निगराकार का विपक्षी सं. 01 के पटटेशुदा जायदाद को हड़पने की नियत से निगराकार ने यह निगरानी पेश की हैं । निगराकार को पटटा जेर बहस की जानकारी पटटा जारी करने के समय से ही थी फिर भी बिना किसी उचित कारण के मात्र दुर्भावनावश यह निगरानी पूर्णतया मियाद बाहर प्रस्तुत की हैं इस कारण निगरानी खारिज होने योग्य है । अतः निवेदन हैं कि निगरानी खारिज फरमाई जावे ।

गैर निगराकार सं. 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि पंचायत पत्रावली क्रमांक में पूर्ण प्रकिया अपना नियमानुसार पटटा दिया गया हैं । निगराकार ने अपने वादपत्र में पड़ौस गलत अंकित किये गये हैं । दक्षिण दिशा व पश्चिम दिशा का पड़ौस सुखा भील हैं । पंचायत द्वारा सही प्रकिया पत्रावली सं. 09 पर अपनाई गई वो निर्णित की गई जो 1999 से ही सभी की जानकारी में हैं । विधिवत तत्समय कार्यवाही की गई , जिसमें कोई त्रुटि नहीं की गई । अतः निगराकारी की निगरानी खारिज फरमायी जावे ।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । गैर निगराकार संख्या 01 ने सरपंच ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 50 वर्षों से अधिक पुराने मकानों व प्लाटों 30 बाई 20 फीट का पटटा दिलाने की प्रार्थना की हैं । आवेदन पत्र पर आबादी भूमि का मौका निरीक्षण पत्र दिनांक 30.03.1999 को तैयार किया , जिसमें कच्चा मकान व प्लाट पर 50 वर्षों से अधिक अवधि से भंवर पिता रेमता भील का कब्जा होना अंकित करते हुये 157(क) के तहत पटटा देने की सिफारिश की गयी । मौका निरीक्षण पत्र पर केवल बालूराम औझा व सरपंच के हस्ताक्षर हैं , जबकि रामप्रसाद जोशी व मगना भील पंच के हस्ताक्षर नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी द्वारा आपत्ति संबंधी सूचना पत्र आबादी भूमि क्षैत्रफल 30 बाई 40 वर्गफीट का दिनांक 12.04.1999 को जारी किया , जबकि भूखण्ड के पड़ौसियों ने अपने शपथ पत्रों में 30 बाई 20 फीट भूमि का भूखण्ड भंवर पिता रेमता भील के कब्जे में 50 वर्षों से अधिक अवधि से होना अंकित किया हैं । 157(क) के तहत 200/–रू. जमा होना पत्रावली से प्रमाणित नहीं होता हैं ।

157 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 इस प्रकार हैं –

पुराने गृहों का विनियमतीकरण –

1. **जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पटटा जारी किये जाने के इच्छुक हैं वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23–क में पंचायत द्वारा पटटा जारी किया जा**

सकेगा ।

(i) 300 वर्गगज तक के क्षैत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षैत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षैत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षैत्रफल –

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में 100/–रू. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए ।

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान 200/–रू. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए

पुराने गृहों का विनियमितिकरण राजस्थान पंचायती राज नियम 157 के अंतर्गत 300 वर्ग गज क्षैत्रफल तक का 200/–रू. जमा करके पुराने गृहों का विनियमितिकरण किया जा सकता हैं , जबकि सरपंच ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में 600 वर्ग फीट का आबादी भूमि का पटटा जारी किया गया हैं । पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी द्वारा जारी आपत्ति सूचना पत्र दिनांक 12.04.1999 में भूखण्ड का क्षैत्रफल 30 बाई 40 फीट अंकित किया हैं, जबकि ग्राम पंचायत के मौका निरीक्षण पत्र में भूखण्ड का क्षैत्रफल अंकित नहीं किया हैं । गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में 30 बाई 20 फीट यानि 600 वर्ग फीट का पटटा जारी किया हैं । **क्षैत्रफल के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी आपत्ति सूचना पत्र में अंकित क्षैत्रफल एवं पटटे में अंकित क्षैत्रफल विरोधाभास प्रकट करता हैं । ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145,146,147,148,149 की पालना नहीं की गई हैं। उक्त पटटा विधि विरूद्व जारी किया हैं जो प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य होकर अवैध हैं।** अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार किये जाने के योग्य है। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ ग्राम पचांयत द्वारा जारी गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में पटटा पत्रावली सं. 09 दिनांक 20.07.1999 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ ग्राम पंचायत ब्राह्मणों की सरेरी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति आसीन्द को प्रेषित की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/04/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा